

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक १४७१

दिनांक ०५.०९.२०२०

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

आनन्द इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास रोड, झकरियापुर, पटना ८०००३०।


विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम ११ के उपनियम ५ के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन—पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय आनन्द इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास रोड, झकरियापुर, पटना को ०१ कक्षा से ०८ कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों दिनांक २८/०८/२०२० से २७/०८/२०२३ तक अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न—शर्तों के अधीन होगी :

१. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
२. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ (अनुलग्नक-१) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, २०११ का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
३. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
४. कड़िका ३ में उद्धृत बच्चों के मामले में आनन्द इंटरनेशनल स्कूल को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा १२ की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
५. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
६. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
७. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम २२ के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलाके में विकलागं / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।


Yashpal
4/9/2020
Principal
Anand International School
Bypass, Krishna Niketan Rd., Jakriyapur, Patna


Secretary
Shree Anand Chandra Foundation
Patna, Bihar

- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करें।
- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :—
 विद्यालय—परिसर का क्षेत्रफल : 4640 वर्गमीटर कुल निर्मित क्षेत्र : 9875 वर्गफीट
 खेल के मैदान का क्षेत्र : उपलब्ध वर्गकक्षों की कुल संख्या : 14
 प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष : बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय : बालक—4 बालिका—4
 पेयजल की सुविधा : उपलब्ध
 मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर : उपलब्ध बाधारहित पहुँच : उपलब्ध
 शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय ; उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ्या अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रभाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्यक्षे लेखाविवरणी की एक प्रति प्रतिवर्श जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियानको भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT.SCH/849 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के द्वारा समय—समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
 प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान
 पटना

*Yashpal
4/9/2010*

Secretary
 Shree Anand Chandra Foundation
 Patna, Bihar

Birendra Kumar
Principal
 Anand International School
 Bypass, Krishna Niketan Rd., Jakariyapur, Patna